मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत 2018 : न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट सहाड़ा

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 60/2015 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. रामकन्या पुत्री किशनलाल जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. लीला पुत्री किशनलाल जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

वादीयागण

बनाम

1. रतनलाल पिता भैरू जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. हरलाल पिता बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. मु0 नानी पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. कमला पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. गीता पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
6. सुगना पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
7. मु0 शंकरी पत्नि बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 22.05.2018

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीया संख्या 1 लगायत 2 और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

हस्ताक्षर वकील

ता.

1. रामकन्या बा0लीला ना0बा0 पिता किशनलाल सं.प. बहिन रामकन्या जाट सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1162		
1163/2	0.09	बारानी ।।।
3464/2	0.53	बारानी ।।।
3752/2	0.10	बारानी ।।
4797/2	0.04	नहरी।।
4863/1	0.10	चाही ।
4940/1	0.16	चाही ।
4941/1	0.11	पेटा ।।
5290	0.04	पेटा ।।
5291/2	0.04	बारानी ।।।
	0.28	बारानी ।।।

कुल किता 10

कुल 1.49 है.

2. रतनलाल पिता भेरा 1/3 हरलाल नानी कमला गीता सुगना पिता बेणीराम शंकरी बेवा बेणीराम 2/3 जाट सा0 देह खोतदार रहन बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 रतनलाल 1/3 पर

आ0नं0	रकबा	किस्म
1163/1		
1164	0.26	बारानी ।।।
1165	0.20	बारानी ।।।
3464/1	1.40	बारानी ।।।
3464/3	0.21	बारानी ।।
3752/1	0.12	बारानी ।।
4797/1	0.12	नहरी ।।
4797/3	0.20	चाही ।
4863/2	0.10	चाही ।
4940/2	0.49	चाही ।
4941/2	0.31	पेटा ।।
5292	0.08	पेटा ।।
5291/1	0.63	बारानी ।।।
	0.33	बारानी ।।।

कुल किता 13

कुल 4.45 है.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

हस्ताक्षर वकील

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्—पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना—अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत 2018 : न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट सहाड़ा

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 60/2015 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. रामकन्या पुत्री किशनलाल जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. लीला पुत्री किशनलाल जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

वादीयागण

बनाम

1. रतनलाल पिता भैरू जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. हरलाल पिता बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. मु0 नानी पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. कमला पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. गीता पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
6. सुगना पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
7. मु0 शंकरी पत्नि बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

:: <u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी एक्ट</u> ::

निर्णय

दिनांकः 22.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीयागण ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सहाड़ा, पटवार हल्का सहाड़ा, तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1162 रकबा 0.09 है., आराजी संख्या 1163 रकबा 0.79 है., आराजी संख्या 1164 रकबा 0. 20है., आराजी संख्या 1165 रकबा 1.40 है., आराजी संख्या 3464 रकबा 0.43 है., आराजी संख्या 3752 रकबा 0.16 है., आराजी संख्या 4797 रकबा 0.40है., आराजी संख्या 4863 रकबा 0.65 है., आराजी संख्या 4940 रकबा 0.42 है., आराजी संख्या 4941 रकबा 0.12 है., आराजी संख्या 5290 रकबा 0.04है., आराजी संख्या 5291 रकबा 0.61 है., आराजी संख्या 5292 रकबा 0.63 है., कुल किता 13 रकबा 5.94 है0. हैं। जिसमें वादीयागण का संयुक्त रूप से 1/4

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा निहित है। अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 24.06.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये। **दिनांक 22.02.2016 को प्रार्थीया भूरी, प्यारी पिता चतर्भुज जाट द्वारा प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 व 151 जा0दी0 का पेश किया जिसे दिनांक 09.01.2018 को प्रा0पत्र सम्पुष्ट नहीं होने एवं मेन्टेबल नहीं होने से खारिज किया गया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया है।** विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 10.06.2016 को वाद प्रारम्भिंक डिकी किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण एवं वादी के अधिवक्ता को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिकी जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। **अतः**

–:आदेश:–

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिकी किया जाता है। वादीया संख्या 1 लगायत 2 और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. **रामकन्या बा0लीला ना0बा0 पिता किशनलाल सं.प. बहिन रामकन्या जाट सा0 देह खातेदार**

आ0नं0	रकबा	किस्म
1162	0.09	बारानी ।।।
1163/2	0.53	बारानी ।।।
3464/2	0.10	बारानी ।।
3752/2	0.04	नहरी।।
4797/2	0.10	चाही ।
4863/1	0.16	चाही ।
4940/1	0.11	पेटा ।।
4941/1	0.04	पेटा ।।
5290	0.04	बारानी ।।।
5291/2	0.28	बारानी ।।।
कुल किता 10	**कुल 1.49 है.**	

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

2. रतनलाल पिता भेरा 1/3 हरलाल नानी कमला गीता सुगना पिता बेणीराम शंकरी बेवा बेणीराम 2/3 जाट सा0 देह खोतदार रहन बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 रतनलाल 1/3 पर

आ0नं0	रकबा	किस्म
1163/1	0.26	बारानी ।।।
1164	0.20	बारानी ।।।
1165	1.40	बारानी ।।।
3464/1	0.21	बारानी ।।
3464/3	0.12	बारानी ।।
3752/1	0.12	नहरी ।।
4797/1	0.20	चाही ।
4797/3	0.10	चाही ।
4863/2	0.49	चाही ।
4940/2	0.31	पेटा ।।
4941/2	0.08	पेटा ।।
5292	0.63	बारानी ।।।
5291/1	0.33	बारानी ।।।
कुल किता 13	कुल 4.45 है.	

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—60 / 2015

अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.ए.

अनवान

1. रामकन्या पुत्री किशनलाल जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. लीला पुत्री किशनलाल जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता भैरू जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. हरलाल पिता बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. मु0 नानी पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. कमला पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. गीता पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
6. सुगना पुत्री बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
7. मु0 शंकरी पत्नि बेणीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व 151 जा0दी0

निर्णय दिनांक 09.01.2018

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान भूरी पुत्री चतरा उर्फ चतुर्भुज जाट निवासी सहाडा हाल पोटलां व श्रीमती प्यारी पुत्री चतरा उर्फ चतुर्भुज जाट निवासी सहाडा हाल पोटलां ने आदेश 1 नियम 10 व 151 जा0दी0 के तहत प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयांगण मृतक चतरा उर्फ चतुर्भुज जाट निवासी सहाडा की पुत्रियां होकर अभी प्रथम श्रेणी की वारिसान है वाद वर्णित आराजी संख्या 1162 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 1163 रकबा 0.79 है, आराजी संख्या 1164 रकबा 0.20 है, आराजी संख्या 1165 रकबा 1.40 है, आराजी संख्या 3464 रकबा 0.43 है, आराजी संख्या 3752 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 4797 रकबा 0.40 है, आराजी संख्या 4863 रकबा 0.65 है, आराजी संख्या 4940 रकबा 0.42 है, आराजी संख्या 4941 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 5290

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 5291 रकबा 0.61 है, आराजी संख्या 5292 रकबा 0.63 है, कुल किता 13 कुल रकबा 5.94 हे0, भूमि पैतृक होकर उसमें प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा हक निहित है लेकिन तहसीलदार सहाडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 29.11.1971 को वाद वर्णित आराजी के संबंध में खोला गया जिसमें जानबूझ प्रार्थीयांगण का नाम अंकित नही किया गया जबकि मृतक चतरा की वादवर्णित आराजी में जन्म से 1/4 हिस्सा प्रत्येक्र का है और उसी हिस्से अनुसार प्रार्थीयागण काबिज होकर काश्त लाभ ले रही है।

प्रार्थीयागण ने प्रा0पत्र में यह भी अंकित किया कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ इसलिए मौजूद वाद में पक्षकार बनकर काउन्टर क्लेम के माध्यम से अपने हक व हिस्से के लिए चाराजोही करना चाहती है। अतः प्रार्थीयागण का प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र का वादियागण की और से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रा0पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3 में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। प्रा0पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया।

प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीयांगण के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा0पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। अधिवक्ता वादीयागण ने प्रा0पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया। मैने प्रा0पत्र एवं जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थीयां के पिता की मृत्यू 1948 में होने के पश्चात विरासतन नामान्तरण वर्ष 1971 में दर्ज किया जिसमें प्रार्थीयान के नाम विरासतन अमल बरामद नही किया गया। प्रार्थीयान को विरासतन नामान्तरकरण नं के विरूद्व अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रार्थीयान वर्तमान में खातेदार नही है यदि कानूनन प्रार्थीयान का वादग्रस्त आराजियात में हिस्सा 1/4 निहित है तो प्रार्थीयान को नियमानुसार घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर रिलिफ प्राप्त करनी चाहिये यह वाद धारा 53 आर0टी0एक्ट सम्बनधित है। प्रार्थीयान ने प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10 में स्पष्ट अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का जन्म से 1/4 हिस्सा निहित है तथा मौके पर कब्जा है इस तथ्य की पुष्टि स्वंय प्रार्थीयान ने अपने प्रा0पत्र में अंकित है वाद ग्रस्त आराजियात से सम्बनधित समस्त जानकारियां प्रार्थीयान को होने के बावजूद भी इतने लम्बे समय तक वादग्रस्त आराजियात में अपने निहित हिस्से को बतौर खातेदार दर्ज कराने से किसी भी सक्षम न्यायालय में चारा जोही नही की है। अतः प्रार्थीयान का प्रा0पत्र सम्पुष्ट नहीं होने से मेन्टेनबल नही है अतः आदेश 1 नियम 10 C.P.C प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)